

संख्या: 2828/ सत्रह-म-2013.6-9(288)/2013

प्रेषक,

जावेद उल्-मानी,  
मुख्य सचिव,  
30प्र0 शासन।

प्राप्त में,

सम्बंधित मण्डलायुक्त,  
30प्र0 ।

2- सम्बंधित जिलाधिकारी,  
30प्र0 ।

3- निदेशक,  
मत्स्य विभाग,  
30प्र0 लखनऊ।

मत्स्य उत्पादन अनुभाग

लखनऊ: दिनांक 03 जनवरी, 2014

विषय - राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत मत्स्य विभाग द्वारा संचालित की जा

रही निर्जल क्षेत्र की कार्यशील हैचरियों का सुदृढीकरण परियोजना का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में

महोदय,

प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, एवं जैन,)

प्रमुख वर्गों के विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग

उक्तका वाजिब हक दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश की विकास योजनाओं में

अभिन्न योजनाओं में इनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण

अल्पसंख्यकों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली

अभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय

की परिधि में लाते हुए उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके।

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बंध में शासनादेश सं० - 1533/ 52- 3- 2013- सा (30)/13, दिनांक 24-08-2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना सम्मिलित है। मत्स्य विभाग की निजी क्षेत्र की कार्यशील हैचरियों का सुदृढीकरण परियोजना भी राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत संचालित की जा रही है। यह योजना लाभार्थी परक है।

2- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि दिनांक 31-07-2013 तक की भौतिक प्रगति को वार्षिक लक्ष्य से घटाते हुये अवशेष लक्ष्य में से 20 प्रतिशत अल्पसंख्यक समुदाय हेतु मात्राकरण करते हुए जनपदवार फांट निर्धारित कर दिया जाय। तदनुसार योजनान्तर्गत निर्धारित किये गये लक्ष्य की जनपदवार फांट संलग्नक -क पर है, इसके आधार पर ही जनपदवार लक्ष्य की प्राप्ति की जानी है।

3- योजना में अल्पसंख्यकों हेतु निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने की कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी विशेष कारण से लक्ष्य प्राप्ति हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के लाभार्थी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं तो जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की संस्तुति तथा मुख्य सचिव के माध्यम से शासन का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात अल्पसंख्यकों के अवशेष लक्ष्य को अन्य समुदाय के लोगो से पूर्ण कर लिया जायेगा।

4- उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्रारूप की प्रति संलग्नक - ख पर संलग्न की जा रही है। इस प्रारूप पर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित विवरण / सूचना जनपद के जिलाधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को तथा शासन के सम्बंधित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बंधित विभाग, परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक संलग्नक -ग पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेगें।

5- योजना से सम्बंधित शासनादेश सं० 1533/52-3-2013-सा(30)/2013, दिनांक 24-08-2013 में निर्धारित अन्य शर्तों /प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

संलग्नक : यथोक्त ।

भवदीय

जावेद उस्मानी  
मुख्य सचिव।

संख्या : 2828/ सत्रह-म-2013, 6-9(288)/2013 तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग उ०प्र० शासन ।
- 2- निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण उ०प्र० लखनऊ ।
- 3- निदेशक कृषि विभाग उ०प्र० लखनऊ।
- 4- सम्बंधित जिला अल्पसंख्यक कल्याण, अधिकारी, उ०प्र० ।
- 5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

  
(योगेश कुमार)

प्रमुख सचिव,  
पशुधन एवं मत्स्य विभाग

संलग्नक - ख

सम्बंधित विभाग द्वारा जनपदों से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

विभाग का नाम

जनपद का नाम

माह -

राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य का प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत कराये जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित समय

क्र.सं.	योजना का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित लक्ष्य के विरुद्ध माह में उपलब्धि	संदर्भित माह तक क्रमिक उपलब्धि	लक्ष्य के विरुद्ध क्रमिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नक - ख

सम्बंधित विभाग द्वारा जनपदों से सूचना प्राप्त करने हेतु प्रपत्र

विभाग का नाम

जनपद का नाम

माह -

देश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत कराये जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित मास

क्र.सं.	योजना का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित लक्ष्य के विरुद्ध माह में उपलब्धि	संदर्भित माह तक क्रमिक उपलब्धि	लक्ष्य के विरुद्ध क्रमिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7

संलग्नक - ग

संचालित विभाग द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को भेजे जाने वाली संकलित सूचना

का प्रपत्र :-

विभाग का नाम

योजना का नाम

माह -

देश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं के भौतिक लक्ष्य का 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों के लिए मात्राकृत कराये जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित प्रारूप

क्र.सं.	जनपद का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राकृत वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित लक्ष्य के विरुद्ध माह में उपलब्धि	संदर्भित माह तक क्रमिक उपलब्धि	लक्ष्य के विरुद्ध क्रमिक उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7